तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की में जारी
24/8/21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 30.9.21 को पेश हो।	प्रशासन ... अभियान ... हुक्म ... नोटिस ...
30-9-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट मे दिनांक 8/10/21 को पेश हो।	
8/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट सहण में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील पेश है। तहसीलदार नैनवां की रास्ते के सम्बन्ध मे रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 805/320 प्रार्थी रतनपुरी के खातेदारी भूमि सहण से खेडी जाने वाली पक्की सड़क से लगता है। अत: ख.नं. 805/320 मे रास्ते की आवश्यकता नही है। अत: दावा खारिज योग्य है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र मे रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नही है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया एवं पढकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:04 IST
Reason: SelfAttested